



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 724 राँची, मंगलवार

21 अग्रहायण, 1945 (श०)

12 दिसम्बर, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

20 अक्टूबर, 2023

संख्या-5/आरोप-1-3/2023-24668 (HRMS)--श्री असीम बड़ा, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-462/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, तिसरी, गिरिडीह, सम्प्रति- निलंबित के विरुद्ध दिनांक 18.01.2023 को माननीय मुख्यमंत्री की जिला स्तरीय समीक्षात्मक बैठक में Revenue Court Monitoring System की समीक्षा के क्रम में अंचल कार्यालय, तिसरी की लंबित मामलों की संख्या-13 (दाखिल खारिज मामलों को छोड़कर) एवं निष्पादित मामलों की संख्या-0 (शून्य) रहने, जिसे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अत्यंत गंभीरता लिया गया, के आलोक में उपायुक्त, गिरिडीह के पत्रांक-84/स्था०, दिनांक 18.01.2023 द्वारा इनको निलंबित करने की अनुशंसा की गई ।

2. उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं०-2506(HRMS), दिनांक 24.01.2023 द्वारा श्री बड़ा को निलंबित किया गया तथा निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय- प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची निर्धारित किया गया ।

3. श्री बड़ा के पत्र, दिनांक 18.07.2023 द्वारा निलंबन से मुक्त करने का अनुरोध किया गया।

4. श्री बड़ा द्वारा समर्पित आवेदन एवं मामले की समीक्षोपरांत निम्नांकित निर्णय लिया जाता है-

(i) श्री असीम बड़ा, तत्कालीन अंचल अधिकारी, तिसरी, गिरिडीह, सम्प्रति-निलंबित को निलंबन से मुक्त किया जाता है ।

(ii) श्री बड़ा के निलंबन अवधि के विनियमन के संबंध में अलग से निर्णय लिया जायेगा ।

Sl. No.	Employee Name (G.P.F. No.)	Department	Office	Designation	Decision of the Competent Authority	Effective Date	Effect of suspension period on pension
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ASIM BADA (JHK/JAS/189)	DIV COMMISSIONER OFFICE SOUTH CHHOTANAGPUR	DIVISIONAL COMMISSIONER SOUTH CHOTANAGPUR RANCHI (RANCHI)	Under Suspension	श्री असीम बड़ा, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 462/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, तिसरी, गिरिडीह, सम्प्रति- निलंबित को निलंबन से मुक्त किया जाता है।	20/10/2023	It will NOT be calculated for pension purposes

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
जीपीएफ संख्या: BHR/BAS/3601
